बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 के अन्तर्गत यथा–अपेक्षित बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण ।

बिजेन्द्र प्रसाद यादव
वित्त मंत्री

वर्ष 2026

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2022

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	
2	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	1—3
3	वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	4—17
4	मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण	18—26
5	राजकोषीय नीति युक्ति विवरण	27—33
6	राजकोषीय पारदर्शिता के लिए प्रकटन	34—39

प्राक्कथन

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत यह विवरणी, राज्य की वित्तीय कार्यप्रणाली, आर्थिक स्वास्थ्य और भविष्य की रणनीतिक दिशा का एक व्यापक दस्तावेज है। वित्तीय वर्ष 2026 –27 के लिए यह प्रस्तावना राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसके माध्यम से सीमित संसाधनों के भीतर अधिकतम जन–कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास का लक्ष्य रखा गया है। यह विवरणी न केवल वित्तीय अनुशासन का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को 'आत्मनिर्भर' बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

संवैधानिक मर्यादाओं और FRBM अधिनियम के मानकों का पालन करते हुए, राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रखने का लक्ष्य रखा है। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व आधिक्य की स्थिति को बनाए रखना है, ताकि उधार ली गई धनराशि का उपयोग उपभोग के बजाय 'पूंजीगत परिसंपत्तियों' के निर्माण में किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने अपने राजस्व संग्रह की दक्षता में सुधार किया है।

2026–27 का राजकोषीय रोडमैप विशेष रूप से 'गुणवत्तापूर्ण व्यय' पर आधारित है। सरकार 'सात निश्चय पार्ट–3' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारी निवेश कर रही है। इसमें आय एवं रोजगार, समृद्ध उद्योग, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सहित डिजिटल आधारभूत संरचना शामिल है। FRBM विवरणी स्पष्ट करती है कि ऋण लेना केवल तभी उचित है जब उसका निवेश दूरगामी आर्थिक लाभ देने वाली परियोजनाओं में हो। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण पर किया जा रहा व्यय, भविष्य के मानव संसाधन को सुदृढ़ करेगा, जो अंततः राज्य की जी०डी०पी० वृद्धि में योगदान देगा।

बिहार की अर्थव्यवस्था को अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है, जो राजकोषीय अनुमानों को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में, 'जल–जीवन–हरियाली' अभियान के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन और आर्थिक विकास के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ऋण–जीएसडीपी अनुपात (Debt-to GSDP ratio) को एक संधारणीय (Sustainable) स्तर पर बनाए रखने के लिए पूरी तरह सचेत है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 की यह FRBM विवरणी बिहार के आर्थिक गौरव को पुनर्जीवित करने का एक संकल्प पत्र है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और दूरदर्शी नियोजन का प्रतीक है। सरकार का मानना है कि सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन ही वह नींव है, जिस पर एक आधुनिक, विकसित और न्यायपूर्ण बिहार का निर्माण संभव है। यह दस्तावेज राज्य के नागरिकों को यह विश्वास दिलाता है कि राज्य के समावेशी और सतत विकास के लिए अत्यंत कुशलता से प्रयास किया जा रहा है।

<u>बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन</u>

राज्य सरकार ने अपनी व्यापक आर्थिक नीति में लोक वित्त को प्राथमिकता देते हुए राजकोषीय नीति को विकासोन्मुख बनाया है। इस दिशा में 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006' एक मील का पत्थर साबित हुआ है। राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2006 को **''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम''** को पारित किया ।

इस अधिनियम के पूर्णतः पालन हेतु राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कई नीतिगत एवं त्वरित पहल किये हैं। राज्य की आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आर्थिक परिस्थिति के अनुसार राज्य सरकार राजकोषीय नीति में समय–समय पर उपयुक्त बदलाव करती रही है। केन्द्र सरकार द्वारा वैश्विक आर्थिक मंदी के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का अनुपात 2009–10 में 4.00 प्रतिशत तथा वर्ष 2010–11 में 3.50 प्रतिशत किया गया था। पुनः वर्ष 2011–12 एवं उसके बाद के वर्षों में इसे 3.00 प्रतिशत रखा गया है।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 9, 2016) के द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में अपेक्षित संशोधन किया गया। अधिनियम 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.50 प्रतिशत का अतिरिक्त छुट दिया गया। कुल बकाया ऋण राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत या कम होने पर जी० एस० डी० पी० का 0.25 प्रतिशत तथा ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति का 10 प्रतिशत या कम होने पर जी०एस० डी० पी० का 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा के लिए पात्र होगा।

अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ–साथ राजकोषीय नीति संबंधी विवरण यथा (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण, (ख) मध्यमकालिक राजकोषीय नीति का विवरण और (ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण रखेगी।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 क्रियान्वित होने के फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था में 2005–06 से लगातार दो अंको में वृद्धि दर्ज कर रही है। यह आर्थिक वृद्धि दर राज्य सरकार द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण नीतिगत फैसलों के फलस्वरूप सम्भव हुई है। इस आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के हर वर्ग को मिला है, जिसके फलस्वरूप गरीबी में कमी दर्ज की गयी एवं राज्य के लिए आर्थिक सामाजिक संकेतकों में सुधार हुआ है। कोविड–19 के दौरान आर्थिक मंदी के कारण भारत सरकार ने राजकोषीय नीति में परिवर्तन कर राजकोषीय घाटा की सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2020–21 के लिए 5.00 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत सशर्त) तथा वर्ष 2021–22 के लिए 4.5 प्रतिशत (1.00 प्रतिशत सशर्त) कर दिया था। राज्य सरकार ने इसके मद्देनजर बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन कर राजकोषीय घाटा की अधिसीमा में तदनुसार बढ़ोत्तरी की थी।

राज्य में आर्थिक वृद्धि को अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के निर्णय के आलोक में वर्ष 2022–23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा के अनुपात को 4.00 प्रतिशत (0.50 प्रतिशत सशर्त) तथा पुनः वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट के लिए यह अधिसीमा 3.50 प्रतिशत (0.50 प्रतिशत सशर्त) रखा था। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान ब्याज रहित ऋण सहित राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० का 4.16 प्रतिशत रहा। वर्ष 2025–26 के राज्य बजट में राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा के अनुपात को 3.00 प्रतिशत रखा गया है। वर्ष 2026–27 के बजट में भी राजकोषीय घाटा को जी०एस०डी०पी० के 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा में रखा गया है।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं इसके विभिन्न धाराओं के अधीन निर्मित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 के आलोक में राज्य के विधान मंडल के समक्ष निम्न 4 प्रारूपों के साथ विवरणी उपस्थापित की जा रही है:–

अनुसूची 1: अधिनियम की धारा 6 के तहत 'वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण'

अनुसूची 2: अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के तहत 'मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण'

अनुसूची 3: अधिनियम की धारा 8 के तहत 'राजकोषीय नीति युक्ति विवरण' तथा

अनुसूची 4: अधिनियम की धारा 10 के तहत 'राजकोषीय पारदर्शिता के प्रकटन'

अनुसूची–1
वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण

सतत् एवं समावेशी आर्थिक विकास की नीतियों को अपनाते हुए राज्य सरकार राज्य के चौतरफा विकास हेतु कार्य कर रही है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2005–2015 के दौरान आर्थिक वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ी। राज्य का आर्थिक आकार वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2024–25 में दो गुना से ज्यादा हो गया है। स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 के 2.47 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 5.31 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य ने 8.6 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है।

राज्य अर्थव्यवस्था की रूपरेखा

बिहार सरकार द्वारा विकासोन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं दूरदर्शी राजकोषीय नीति के परिणामस्वरूप राज्य उच्च आर्थिक वृद्धि दर को लगातार हासिल कर रहा है। वर्ष 2024–25 के दौरान बिहार ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8.64 प्रतिशत का उच्च वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त किया है, जिससे हमारा राज्य देश के सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाले तीन प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है। तालिका 'क'–I में देश के प्रमुख राज्यों का आर्थिक वृद्धि दर दर्शाया गया है। तालिकानुसार देश के मुख्य राज्यों के आर्थिक वृद्धि दर के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर तमिलनाडु (11.19 प्रतिशत) तथा दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश (8.99 प्रतिशत) है। गौरतलब है कि बड़े राज्यों में गुजरात द्वारा वर्ष 2024–25 में अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़ा अभी तक जारी नही किया गया है ।

चार्ट 'क'–I: राज्यवार स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर 2024–25 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर प्रतिशत में

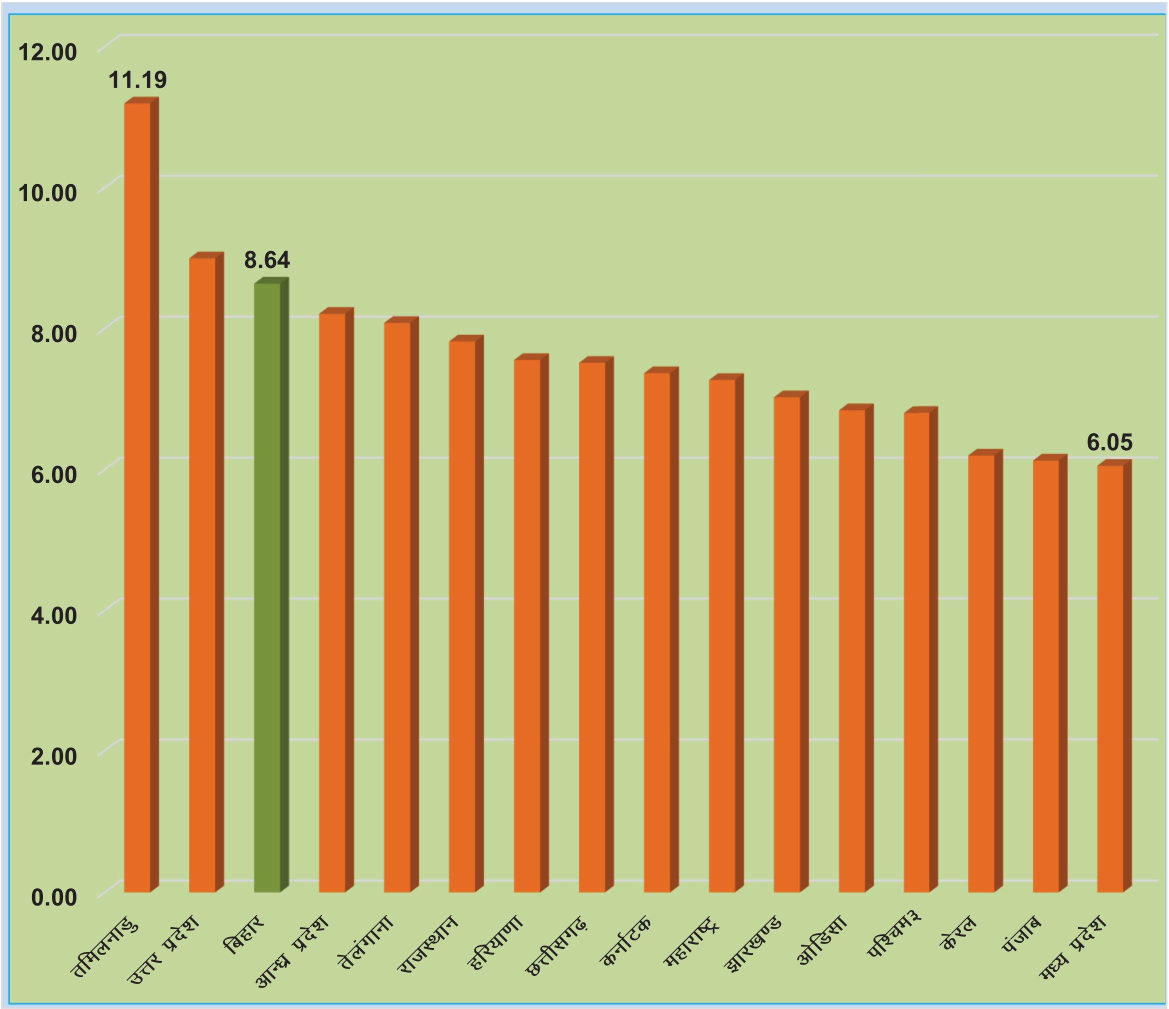

तालिका 'क'–I: स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का आर्थिक वृद्धि दर (2024–25)

राशि करोड़ रुपये में

राज्य/केन्द्र शासित	2022-23	2023-24	वार्षिक वृद्धि दर (2023-24)
तमिलनाडु	1557821	1732189	11.19
उत्तर प्रदेश	1452033	1582636	8.99
बिहार	**489126**	**531372**	**8.64**
आन्ध्र प्रदेश	799400	865013	8.21
तेलंगाना	772684	835100	8.08
राजस्थान	840599	906294	7.82
हरियाणा	629491	677033	7.55
छत्तीसगढ़	306712	329752	7.51
कर्नाटक	1462578	1570298	7.37
महाराष्ट्र	2435259	2612263	7.27
झारखण्ड	283284	303178	7.02
ओडिसा	483509	516575	6.84
पश्चिम बंगाल	881892	941854	6.80
केरल	645310	685283	6.19
पंजाब	497764	528239	6.12
मध्य प्रदेश	671636	712260	6.05
भारत	**17650591**	**18796955**	6.49

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।

राज्य की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में संरचनात्मक परिवर्तन :–

राज्य एवं अखिल भारतीय (2004–05 से 2024–25) अर्थव्यवस्था ने तीनों क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक) में बदलाव दर्ज किया है। इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज हुआ है। तालिका 'क'–II में बिहार एवं अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले दो दशक के दौरान हुए संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र में 5.5 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में गिरावट तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जहाँ एक ओर द्वितीयक क्षेत्र में 3.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज हुई है, वहीं तृतीयक क्षेत्र में 1.9 प्रतिशत अंक की उछाल दर्ज हुई है। इसी प्रकार, बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में जहाँ 13.3 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज हुई वहीं द्वितीयक क्षेत्र में 13.1 प्रतिशत अंक की महत्वपूर्ण वृद्धि तथा तृतीयक क्षेत्र में 0.2 प्रतिशत अंक का उछाल दर्ज हुआ है। राज्य स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अखिल भारतीय स्तर की तुलना में अधिक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीयक क्षेत्र का योगदान बिहार की तुलना में अधिक है। वहीं बिहार एवं राष्ट्रीय स्तर पर सेवा क्षेत्र का योगदान बराबर है।

बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से ज्यादा है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान राष्ट्रीय औसत सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004–05 के 2.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 2.8 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से 32.8 प्रतिशत (2004–05) से बढ़कर 35.7 प्रतिशत (2024–25) हो गया है।

तालिका 'क'–II: अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्त्तन :–

प्रक्षेत्र	अखिल भारत			बिहार		
	2004-05	2014-15	2024-25	2004-05	2014-15	2024-25
जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० का क्षेत्रीय वितरण (करोड़ रुपये में)						
प्राथमिक क्षेत्र	650455	1894401	2815689	24572	59926	94091
द्वितीयक क्षेत्र	744755	2733213	4931228	10664	56247	137645
तृतीयक क्षेत्र	1576255	5084519	9440529	42545	153245	281497
बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन	2971465	9712133	17187446	77781	269418	513233
जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० का आर्थिक संरचना में हिस्सा (प्रतिशत में)						
प्राथमिक क्षेत्र	21.9	19.5	16.4	31.6	22.2	18.3
द्वितीयक क्षेत्र	25.1	28.1	28.7	13.7	20.9	26.8
तृतीयक क्षेत्र	53.0	52.4	54.9	54.7	56.9	54.8
बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
विकास दर (प्रतिशत में)						
सकल देशीय उत्पाद (करोड़ रुपये मं)	2971464	10527674	18796955	77781	279482	531372
प्रति व्यक्ति आय (रुपये में)	24143	72805	114710	7914	25379	40973
सम्पूर्ण भारत में बिहार का जी०एस०डी०पी० का हिस्सा	-	-	-	2.6	2.7	2.8
सम्पूर्ण भारत में बिहार का प्रति व्यक्ति आय का हिस्सा	-	-	-	32.8	34.9	35.7
स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।						

टिप्पणीः तालिका के आंकड़े वर्ष 2004–05 के लिए आधार वर्ष 1999–2000 तथा वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2024–25 के लिए आधार वर्ष 2011–12 के स्थिर मूल्य पर आधारित है।

चार्ट 'क'–II: अखिल भारत का आर्थिक संरचनात्मक परिवर्त्तन (2004–05 और 2024–25)

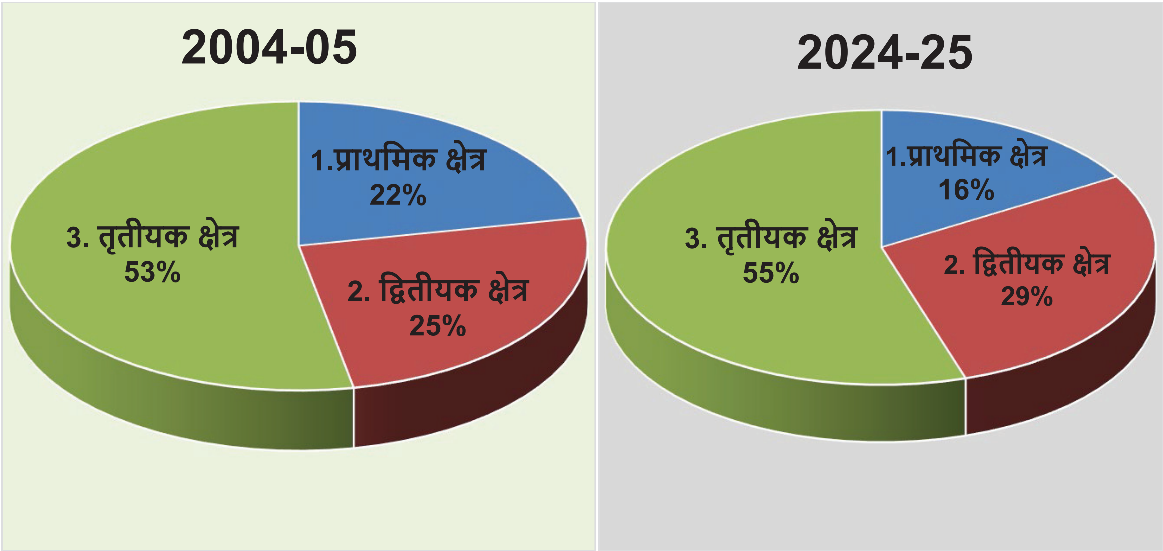

चार्ट'क'–II: बिहार का आर्थिक संरचनात्मक परिवर्त्तन(2004–05 और 2024–25)

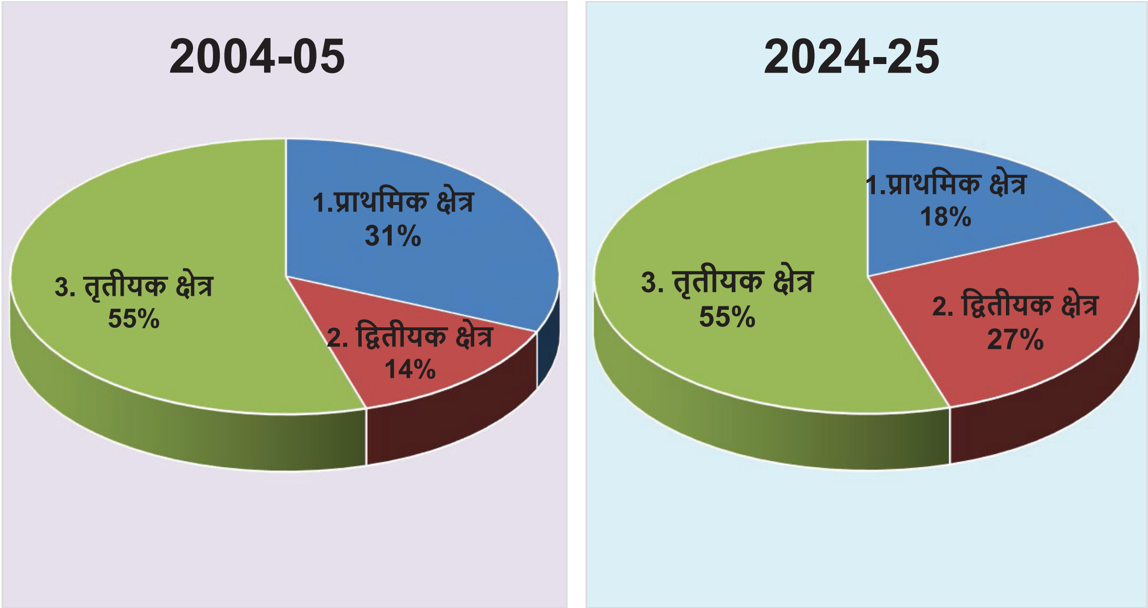

तालिका 'क'–III में बिहार का क्षेत्रवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 के स्थिर मूल्यों पर) दर्शाया गया है। तालिका में प्रदर्शित आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि वर्ष 2011–12 से वर्ष 2024–25 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कई प्रक्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई है।

वायु परिवहन प्रक्षेत्र में इस अवधि में 8.3 गुनी वृद्धि दर्ज की गई, वहीं खनन प्रक्षेत्र में 7.8 गुनी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का प्रभाव विनिर्माण प्रक्षेत्र में भी देखने को मिला है, जिसके फलस्वरूप इस प्रक्षेत्र का आकार वर्ष 2011–12 के 14,666 करोड़ रुपये से 3.2 गुना बढ़ कर वर्ष 2024–25 में 46,373 करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार भंडारण क्षेत्र के आकार में भी 5.2 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है।

इस तालिका में वर्ष 2024–25 के दौरान वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर को क्षेत्रवार दिखाया गया है। वर्ष 2024–25 में उच्च आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक निम्न है :–

1. खनन – 21.28 प्रतिशत
2. भंडारण – 21.13 प्रतिशत
3. वायु परिवहन – 18.28 प्रतिशत
4. विद्युत / गैस / जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ – 17.83 प्रतिशत तथा
5. निर्माण – 16.87 प्रतिशत

उपर्युक्त सभी प्रक्षेत्र का आर्थिक वृद्धि दर 16 प्रतिशत से ज्यादा है। तालिका 'क'–III के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र में वर्ष 2024–25 के दौरान 11.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के उच्च आर्थिक वृद्धि दर का द्योतक है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का आर्थिक वृद्धि दर 4.07 प्रतिशत है जबकि तृतीयक क्षेत्र का आर्थिक वृद्धि दर 8.89 प्रतिशत है, जो काफी बेहतर है। कुल मिलाकर राज्य ने वर्ष 2024–25 में 8.64 प्रतिशत की अर्थिक वृद्धि दर को हासिल किया है।

तालिका 'क'–III:स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार अवलोकन(वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2024–25)

क्र० सं०	क्षेत्र	2011-12	2023-24	2024-25	Share in GSVA (2024-25)	Growth 2024-25
1	कृषि / वानिकी और मत्स्य	62067	89130	92534	18.03	3.82
1.1	फसल	42608	46436	46882	9.13	0.96
1.2	पशुधन	12028	27740	29623	5.77	6.79
1.3	वानिकी / काष्ठ उत्पादन	4187	6731	6990	1.36	3.85
1.4	मत्स्य एवं जलीय कृषि	3244	8223	9039	1.76	9.92
2	खनन / प्रस्तर खनन	199	1284	1558	0.30	21.28
	उप योग (प्राथमिक)	**62265**	**90414**	**94091**	**18.33**	**4.07**
3	विनिर्माण	14666	45867	46373	9.04	1.10
4	विद्युत / गैस / जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	3659	11588	13654	2.66	17.83
5	निर्माण	27017	66413	77618	15.12	16.87
	उप योग (द्वितीयक)	**45341**	**123868**	**137645**	**26.82**	**11.12**
6	व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	**43904**	**65359**	**68365**	13.32	4.60
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	41109	59905	62743	12.22	4.74
6.2	होटल एवं रेस्टोरेंट	2796	5454	5622	1.10	3.08
7	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	17545	46208	52243	10.18	13.06
7.1	(i) रेलवे	2751	4337	4766	0.93	9.90
7.2	(ii) सड़क परिवहन	8405	24253	27141	5.29	11.91
7.3	(iii) जल परिवहन	49	58	66	0.01	12.33
7.4	(iv) वायु परिवहन	31	215	254	0.05	18.28
7.5	परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाएं	893	2666	3056	0.60	14.66
7.6	भंडारण	74	316	383	0.07	21.13
7.7	प्रसारण से संबंधित सेवाएं	5342	14363	16576	3.23	15.40
8	वित्तीय सेवाएं	8839	22723	25827	5.03	13.66
9	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं	28023	44534	46732	9.11	4.93
10	लोक प्रशासन	13587	25061	27633	5.38	10.26
11	अन्य सेवाएं	22193	54618	60698	11.83	11.13
	उप योग (तृतीयक)	134092	258504	281497	**54.85**	**8.89**
12	**सकल राज्य मूल्यवर्धन**	241698	472786	513233	**100.00**	**8.56**
13	उत्पाद पर कर	17169	45062	49524	-	-
14	उत्पाद पर सब्सिडी	11724	28722	31385	-	-
15	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**247144**	**489126**	**531372**	-	**8.64**

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।

चार्ट 'क'-III: स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार वृद्धि दर (वित्तीय वर्ष 2024–25)

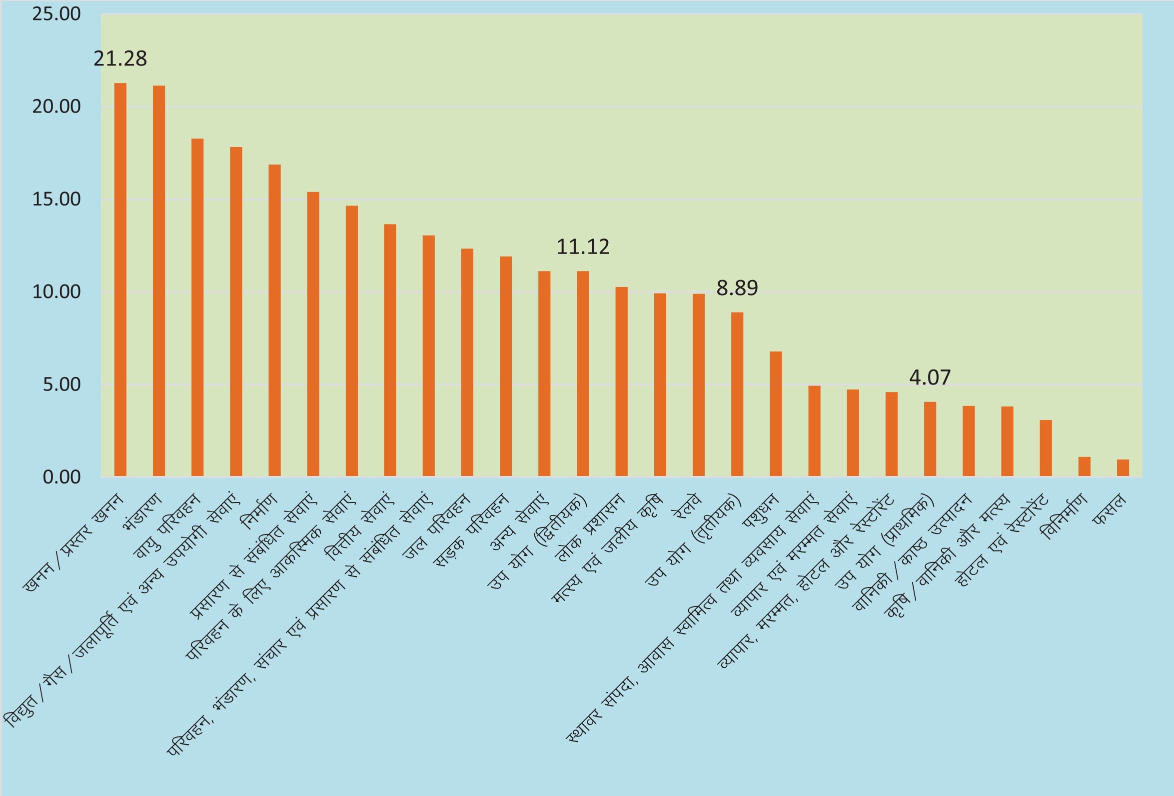

राज्य सरकार की वित्तीय रूपरेखा

राज्य सरकार की प्राथमिकता सदैव बिहार में 'सुशासन' एवं 'न्याय के साथ विकास' की रही है। इस एजेंडा की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए अपने प्रशासन तंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ अनेक संस्थागत सुधारों को आरंभ किया है। सार्वजनिक निवेश के चयन में भी बदलाव आया है और आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना (Infrastructure) के विकास एवं सामाजिक सेवा प्रदान प्रणाली (Social Service Delivery System) को सुधार कर सुगम बनाने पर बल दिया गया है। राजकोषीय प्रबंधन में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का आवंटन तथा व्यय की गुणवत्ता एवं इसके परिणामों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेहतर सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को विशेष महत्व दिया गया है।

वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख चार आयामों का विस्तृत विश्लेषण अग्रलिखित है–

i. राजस्व संग्रहणः– राज्य सरकार के लिए उपलब्ध संसाधनों में कर और गैर–कर राजस्व, पूँजीगत प्राप्तियाँ, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाला अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2004–05 से यदि तुलना करें तो वर्ष 2026–27 में कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 16.6 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई है । वर्ष 2004–05 में राजस्व प्राप्ति 15,714.14 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2026–27 में राजस्व प्राप्ति 2,85,277.12 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2025–26 में राज्य का कुल राजस्व प्राप्ति 2,60,831.44 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2026–27 में 2,85,277.12 करोड़ रुपये अनुमानित है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2026–27 में 9.37 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

वर्ष 2026–27 के बजट में राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत कर राजस्व है, जिसका कुल राजस्व प्राप्ति में 78.51 प्रतिशत का योगदान अनुमानित है। वर्ष 2025–26 की तुलना में राज्य के अपने कर राजस्व में 10.55 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में बिहार के लिए केन्द्रीय करों में हिस्सा के रूप में 14.20 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र सरकार की विभिन्न स्कीम में 44,002.81 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 17.97 प्रतिशत है।

ii. व्यय प्रबंधनः– राज्य में निधि प्रवाह (Fund Flow) को बेहतर एवं नियंत्रित रखा गया है। व्यय प्रबंधन को अधिक सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण एवं युक्तिसंगत बनाने के लिए समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी०एफ०एम०एस०) को उन्नत कर सी०एफ०एम०एस०–2.0 लागू है। बजट की पूरी प्रक्रिया Online की गयी है, जिससे व्यय प्रबंधन काफी मजबूत हुआ है। राज्य सरकार जनमानस के हित में बजट बनाने के लिए सदैव तत्पर रही है। अनुशासित वित्तीय प्रबंधन एवं कुशल राजस्व संग्रहण के फलस्वरूप राज्य के कुल बजट में वर्ष 2004–05 की तुलना में वर्ष 2026–27 में 17.30 गुनी वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2004–05 में कुल व्यय 20,058 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2026–27 का बजट आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2026–27 के बजट 3,47,589.76 करोड़ रुपये में 2,25,746.09 करोड़ रुपये जन कल्याण हेतु सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में कर्णांकित किया गया है। यह सम्पूर्ण बजट का 64.95 प्रतिशत है। यदि 2026–27 के बजट को राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के वर्गीकरण के आधार पर देखें तो राजस्व व्यय का वर्ष 2025–26 के

बजट 2,52,000 करोड़ रुपये की तुलना में 12.75 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2026–27 के बजट में 2,84,134 करोड़ रुपये हो गया है। पूंजीगत परिव्यय वर्ष 2025–26 के 40,531.84 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2026–27 में 39,377.06 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने उच्च आर्थिक वृद्धि दर को हासिल करने के उद्देश्य से कुल बजट का 66.53 प्रतिशत राशि विकासात्मक व्यय के मद में कर्णांकित किया है। यह राज्य सरकार की राजकोषीय नीति के सामाजिक आर्थिक विकास में परिलक्षित होता है।

iii. घाटा प्रबंधनः– इसके प्रमुख तीन घटक है– (i)राजस्व घाटा, (ii)राजकोषीय घाटा एवं (iii) प्राथमिक घाटा।

वर्ष 2004–05 से राज्य सरकार ने राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष अर्जित करना शुरू किया था। वर्ष 2026–27 में 1,143.19 करोड़ रुपये का राजस्व बचत अनुमानित है । वर्ष 2026–27 के बजट में राजस्व बचत सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 0.09 प्रतिशत अनुमानित है। राजस्व बचत का उपयोग पूँजीगत परिव्यय में होगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा।

वर्ष 2026–27 के बजट में राज्य का कुल राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत आकलित है। यह राज्य सरकार के अनुशासित वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है।

प्राथमिक घाटा के 13,748.13 करोड़ रुपये होने का अनुमान वर्ष 2026–27 के बजट में किया गया है। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मात्र 1.05 प्रतिशत है ।

iv. ऋण प्रबंधनः– राज्य सरकार ने ऋण उगाही में बुद्धिमत्ता दिखाते हुए बाजार में उपलब्ध कम ब्याज दर वाले ऋणों को प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने राजकोष की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार ही ऋण लिया है ताकि अनावश्यक ब्याज अदायगी से बचा जा सके ।

पुनः राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि ऋण का उपयोग अधिक से अधिक पूंजीगत परिव्यय (उत्पादक मद) में किया जाय। वर्ष 2026–27 के बजट में कुल ऋण प्राप्तियाँ 61,939.48 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि ऋण अदायगी मद में 22,664.83 करोड़ रुपये का ऋण अदायगी अनुमानित है। इस प्रकार वर्ष 2026–27 में निवल ऋण 39,274.65 करोड़ रुपये अनुमानित है। ब्याज रहित ऋण के रूप में 31 मार्च 2025 तक 34,151.46 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। वर्ष 2026–27 के बजट अनुमान के अनुसार 31 मार्च 2027 तक कुल बकाया ऋण 4,46,326 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 34.09 प्रतिशत है।

ख. चयनित राजकोषीय संकेतकों का रूझान

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	पूर्व वर्ष (वास्तविकी) 2024–25	चालू वर्ष (बजट अनुमान) 2025–26	आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2026–27	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**कुल राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)**	**218657.83**	**260831.44**	**285277.12**	**19.29**	**9.37**
2.	**कर राजस्व (2क+2ख)**	**183013.07**	**198035.85**	**223978.32**	**8.21**	**13.10**
	(क) संघीय करों में राज्य का अंश	129434.93	138515.85	158178.32	7.02	14.20
	(ख) राज्य सरकार के कर–राजस्व	53578.14	59520.00	65800.00	11.09	10.55
3.	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	5781.37	8220.57	9402.99	42.19	14.38
4.	केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान	29863.39	54575.02	51895.81	82.75	-4.91
5.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	66164.50	56263.19	62475.49	-14.96	11.04
6.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	115.30	525.40	536.01	355.68	2.02
	लोक ऋण (7+8)	**66049.20**	**55737.79**	**61939.48**	**-15.61**	**11.13**
7.	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	49549.32	54658.04	59974.80	10.31	9.73
8.	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	16499.88	1079.75	1964.68	-93.46	81.96
9.	**कुल प्राप्तियाँ (1+5)**	**284822.33**	**317094.63**	**347752.61**	**11.33**	**9.67**
10.	**स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय**	**169395.75**	**200135.42**	**225434.34**	**18.15**	**12.64**
10.1	राजस्व खाते पर जिसमें	147314.68	177094.95	202619.94	20.22	14.41
	(क) ब्याज भुगतान	19678.14	23013.94	25363.67	16.95	10.21
	(ख) पेंशन	26139.61	33389.43	35170.48	27.73	5.33
	(ग) वेतन	37286.92	51690.34	70929.26	38.63	37.22
10.2	**पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)**	**22081.08**	**23040.47**	**22814.41**	**4.34**	**-0.98**
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	20612.41	21124.91	20963.39	**2.49**	**-0.76**
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1331.26	1694.96	1701.45	27.32	0.38
	(ग) पूंजीगत व्यय	38.60	118.50	48.50	206.99	-59.07
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	98.81	102.10	101.07	3.33	-1.01
11.	**स्कीम व्यय (11.1+11.2)**	**112543.55**	**116759.60**	**122155.42**	**3.75**	**4.62**
	(क)वार्षिक स्कीम	112568.60	116750.00	110500.00	3.71	-5.35
	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	-25.05	9.60	0.00	-138.32	-100.00
11.1	राजस्व खाते पर	71700.54	74905.31	81513.99	4.47	8.82
11.2	पूंजीगत खाते पर	40843.01	41854.29	40641.43	2.48	-2.90
12.	**कुल व्यय (10+11)**	**281939.30**	**316895.02**	**347589.76**	**12.40**	**9.69**
13.	**राजस्व व्यय (10.1+11.1)**	219015.22	252000.26	284133.92	15.06	12.75
14.	**पूंजीगत व्यय (10.2+11.2)**	62924.09	64894.76	63455.84	3.13	-2.22
15.	**राजस्व घाटा (13–1)**	357.38	-8831.18	-1143.19		
16.	**राजकोषीय घाटा {12–(1+6+10.2(क)+10.2(ख))}**	41222.50	32718.31	39111.80		
17.	**प्राथमिक घाटा {(16–10.1(क)}**	21544.36	9704.37	13748.13		

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	पूर्व वर्ष (वास्तविकी) 2024–25	चालू वर्ष (बजट अनुमान) 2025–26	आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2026–27	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	जी.एस.डी.पी.	991997.00	1097264.00	1309155.00		
19.	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	4.16%	2.98%	2.99%		
20.	ब्याज भुगतान/कुल राजस्व प्राप्तियाँ	9.00%	8.82%	8.89%		

संभावनाएं :– (वृद्धि संभावनाओं और राजकोषीय संभावनाओं का आकलन करना)

आर्थिक वृद्धिः– जन कल्याण हेतु राजकोष समृद्ध करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है । इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2026–27 के लिए 14.88 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि की संभावना वयक्त कर 13.09 लाख करोड़ रुपये का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित किया है ।

राजस्व वृद्धिः– वर्ष 2025–26 की तुलना में वर्ष 2026–27 में कुल प्राप्तियों में 30,657.98 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें से 24,445.68 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति के मद में वृद्धि की संभावना है तथा शेष 6,212.30 करोड़ रुपये की वृद्धि पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत संभावित है ।

व्यय में वृद्धिः– बजट 2026–27 के आकार में 30,694.74 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है । इस वृद्धि में 81.74 प्रतिशत राजस्व व्यय का हिस्सा है तथा शेष 18.26 प्रतिशत हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए सम्भावित है । वर्ष 2026–27 में राजस्व व्यय के 32,133.66 करोड़ रुपये की वृद्धि में 20,044.03 करोड़ रुपये वेतन एवं पेंशन मद में तथा 2,349.74 करोड़ रुपये ब्याज अदायगी मद में वृद्धि की संभावना है ।

राजस्व बचतः– अनुशासित एवं मितव्ययी राजकोषीय नीति के परिणामस्वरूप वर्ष 2026–27 में 1,143.19 करोड़ रुपये का राजस्व बचत अर्जित करने का अनुमान है । यह राशि राज्य के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी ।

ऋण भूगतान एवं प्राप्तियों की संभावनाएंः– वर्ष 2026–27 में 61,939.48 करोड़ रुपये की ऋण प्राप्ति की संभावना है तथा 22,664.83 करोड़ रुपये की ऋण अदायगी अनुमानित है । कुल निवल ऋण 39,274.65 करोड़ रुपये होने की संभावना है ।

अनुसूची–2
मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य के पाँच वर्ष का मध्यमकालिक राजकोषीय नीति का विशलेषण करना अनिवार्य है। इस मध्यमकालिक अवधि में वर्ष 2024–25 की वास्तविकी, वर्ष 2025–26 का बजट अनुमान, वर्ष 2026–27 का बजट अनुमान तथा आगामी दो वर्षों (2027–28 एवं 2028–29) का लक्ष्य शामिल है ।

बिहार एक विकासशील राज्य है तथा उच्च आर्थिक वृद्धि के पथ पर तेजी से अग्रसर है । इस विकास की गति को तीव्र बनाने एवं उसे सतत् बनाये रखने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक राजकोषीय नीति अपनाई है, जिसमें राजस्व बचत को प्राथमिकता दिया गया है। साथ–ही राजकोषीय घाटा को नियमित कर सार्वजनिक निवेश द्वारा अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना सरकार के मध्यमकालिक राजकोषीय नीति का केन्द्रीय लक्ष्य है ।

राज्य सरकार ने वर्ष 2024–25 से 2028–29 के दौरान मध्यमकालिक राजकोषीय नीति के अंतर्गत अनुशासित वित्त प्रबंधन द्वारा वित्तीय समेकन के पथ को प्राप्त करना तथा उसे बनाये रखना संविहित है । वित्तीय घाटा को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा में रखना राज्य की राजकोषीय नीति का अहम उद्देश्य है ।

वर्ष 2024–25 में कुल राजस्व घाटा 357.38 करोड़ रुपये था जबकि वर्ष 2026–27 में 1,143.19 करोड़ रुपये का राजस्व बचत अनुमानित है । वर्ष 2027–28 में 1,257.51 करोड़ रुपये राजस्व बचत होने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2026–27 के बजट मे राजस्व बचत कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.09 प्रतिशत अनुमानित है ।

इसी प्रकार राजकोषीय घाटा भी वर्ष 2024–25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.16 प्रतिशत था और यह वर्ष 2026–27 के लिए 2.99 प्रतिशत अनुमानित किया गया है । आगामी वर्ष 2027–28 तथा वर्ष 2028–29 में राजकोषीय घाटा 3.00 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य है ।

राज्य सरकार ने अपने ऋण भंडार को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे–धीरे कम करने के लिए राजकोषीय नीति में लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे राजकोष पर ब्याज अदायगी का अनावश्यक भार नहीं बढ़े । इसलिए अपने मध्यमकालिक राजकोषीय नीति में राज्य सरकार ने वर्ष 2024–25 के वास्तविक कुल देनदारियों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 37.72 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2026–27 के बजट में घटाकर 34.09 प्रतिशत करने का अनुमान किया है । पुनः वर्ष 2027–28 में कुल देनदारियों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 32.91 प्रतिशत करने का लक्ष्य है ।

इस प्रकार राज्य सरकार ने अनुशासित एवं समेकित राजकोषीय प्रबंधन का परिचय देते हुए उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मध्यमकालिक राजकोषीय नीति द्वारा राजस्व बचत करके तथा राजकोषीय घाटा को नियमित कर रोजगारोन्मूख राजकोषीय नीति का पहल किया है ।

क.राजकोषीय संकेतक :— चल लक्ष्य

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र० सं०	राजकोषीय संकेतक	पूर्व वर्ष (Y-2) वास्तविक	चालू वर्ष (Y-1)	आगामी वर्ष (Y) बजट प्राक्कलन	आगामी दो वर्षों के लिए लक्ष्य	
			बजट प्राक्कलन		वर्ष (Y+1)	वर्ष (Y+2)
		2024—25	**2025—26**	**2026—27**	**2027—28**	**2028—29**
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क.	राजस्व घाटा	357.38	-8831.18	-1143.19	-1257.51	-1383.27
ख.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा/आधिक्य	0.04	-0.80	-0.10	-0.08	-0.08
ग.	राजकोषीय घाटा	41222.51	32718.31	39111.80	44773.10	51041.34
घ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा	4.16	2.98	2.99	3.00	3.00
ड.	प्राथमिक घाटा	21544.37	9704.37	13748.13	16909.43	20677.66
च.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा/आधिक्य	2.17	0.88	1.05	1.13	1.22
छ.	ऋण भंडार	374133.50	407051.42	446326.07	491099.17	542140.51
ज.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल ऋण भंडार	37.72	37.10	34.09	32.91	31.86
झ.	सरकारी प्रतिभूतियाँ (गारंटी)	24226.97	32007.99	32007.99	32007.99	32007.99
ञ.	राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में वेतन, पेंशन एवं ब्याज का योग	38.55	42.59	46.79	46.67	46.48

राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान :–

(1) राजस्व प्राप्तियाँ :–

(क) कर–राजस्वः– कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है । वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 1,58,178.32 करोड़ रुपये अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य सरकार के अपने कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 65,800 करोड़ रुपये है जिसमें वाणिज्य–कर विभाग से 50,000.00 करोड़ रुपये, निबंधन विभाग से 10,000.00 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग से 5,000.00 करोड़ रुपये एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 800.00 करोड़ रुपये का संग्रहण अनुमानित है ।

(ख) कर–भिन्न राजस्वः– वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य का कर–भिन्न राजस्व 9,402.99 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें मुख्यतः खनन एवं भूतत्त्व मद से 4,200.00 करोड़ रुपये, ब्याज प्राप्ति मद में 2,570.08 करोड़ रुपये एवं 825.14 करोड़ रुपये झारखण्ड राज्य सरकार से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि से प्राप्त होनी है ।

(ग) कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्साः– कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2025–26 में 59,520.00 करोड़ रुपये अनुमानित है और वित्तीय वर्ष 2026–27 में 65,800.00 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के कुल कर–राजस्व में अपने कर–राजस्व का हिस्सा 29.38 प्रतिशत अनुमानित है ।

(घ) कर–भिन्न राजस्वः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में कर–भिन्न राजस्व 9,402.99 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान 8,220.57 करोड़ रुपये से 1,182.42 करोड़ रुपये अधिक है ।

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ :–

वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूंजीगत प्राप्तियां 62,475.49 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान 56,263.19 करोड़ रुपये से 6,212.30 करोड़ रुपये अधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी :–

(क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं के मद में बाह्य एजेंसियों से 1,964.68 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है ।

(ख) बाजार ऋणः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में बाजार ऋण के अंतर्गत 56,274.80 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि बाजार ऋण की उगाही भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से की जाती है ।

(ग) वित्तीय संस्थानों से उधारः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में नाबार्ड से 2,500 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आवास बैंक से 1,000 करोड़ रुपये एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 200 करोड़ रुपयेऋण प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर ऋण प्राप्त होता है। यह ऋण प्राप्ति का सबसे सस्ता स्रोत है ।

(घ) उधारों तथा अग्रिमों की वसूलीः–31 मार्च 2025 तक राज्य का 29,587.65 करोड़ रुपये उधार तथा अग्रिम बकाया है । उधार एवं अग्रिम का बड़ा भाग (16,182.20 करोड़ रुपये) ऊर्जा प्रक्षेत्र को उपलब्ध कराये गये उधार का बकाया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में ऋणों की वसूली अन्तर्गत 536.01 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

(ङ) बकाया दायित्व–लोक ऋण तथा अन्य दायित्वः– वित्तीय वर्ष 2024–25 की वास्तविकी के अनुसार 31 मार्च 2025 की समाप्ति पर लोक ऋण 3,16,361.90 करोड़ रुपये है । राज्य के अन्य दायित्व (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियाँ एवं जमा एवं पेशगियाँ) 57,771.60 करोड़ रुपये हैं । इन दोनों को शामिल करने के उपरांत 31 मार्च 2025 को कुल बकाया दायित्व 3,74,133.50 करोड़ रुपये का है ।

(3) कुल व्यय :—

राज्य सरकार के कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2026—27 के बजट प्राक्कलन के अनुसार स्कीम व्यय के अन्तर्गत राजस्व व्यय 81,513.99 करोड़ रुपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राजस्व व्यय 2,02,619.94 करोड़ रुपये कुल 2,84,133.92 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

(क) राजस्व लेखाः— राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान शामिल है ।

(i) वेतनः— वित्तीय वर्ष 2026—27 में वेतन मद (सामान्य वेतन, संविदागत वेतन एवं सहायक अनुदान वेतन) में कुल 96,128.50 करोड़ रुपये के भुगतान का अनुमान है ।

(ii) ब्याज भुगतानः— वित्तीय वर्ष 2026—27 में 25,363.67 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान अनुमानित है ।

(iii) पेंशनः— पेंशन मद में वित्तीय वर्ष 2026—27 में 35,170.48 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(ख) पूंजीगत लेखाः— पूंजीगत लेखा के अंतर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम शामिल है ।

(i) पूंजीगत परिव्यय :—राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, भवन, विद्युत तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचनाओं के विकास हेतु किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2026—27 में पूंजीगत परिव्यय अन्तर्गत 39,377.06 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(ii) लोक ऋण :—वित्तीय वर्ष 2026—27 में लोक ऋण में 22,664.83 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राज्य के आंतरिक ऋण के विरूद्ध 20,963.39 करोड़ रुपये की राशि और केन्द्र सरकार से लिए गये कर्ज तथा अग्रिम के मद में 1,701.45 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान है ।

(iii) उधार तथा अग्रिम :— वित्तीय वर्ष 2026—27 में उधार तथा अग्रिम मद में 1,413.93 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) :–

योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011–12) 13,09,155.00 करोड़ रुपये अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2024–25 की वास्तविकी में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 9,91,997.00 करोड़ रुपये है ।

(5) संवहनीयता का निर्धारण :–

(i) सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलनः– राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों की दर में अधिक तेजी से वृद्धि हो । वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जी०एस०डी०पी० का 23.77 प्रतिशत है तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में इसके 21.79 प्रतिशत रहने की संभावना है । वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान में राज्य के अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 5.42 प्रतिशत है और वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमान में इसके 5.03 प्रतिशत रहने की संभावना है । वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 12.62 प्रतिशत है और यह वित्तीय वर्ष 2026–27 बजट अनुमान में 12.08 प्रतिशत संभावित है ।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 8.82 प्रतिशत अनुमानित है, जिसके वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमान में 8.89 प्रतिशत हो जाने की संभावना है ।

वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमान के अनुसार कुल ऋण दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 34.09 प्रतिशत अनुमानित है ।

(ii) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमानः– वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट प्राक्कलन के अनुसार 51,690.34 करोड़ रुपये व्यय की

तुलना में वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट प्राक्कलन में वेतन मद में 70,220.89 करोड़ रुपये व्यय होने

का अनुमान किया गया है । वेतन में वृद्धि का कारण नई नियुक्तियाँ, मानदेय में वृद्धि एवं उच्चतर कार्यकारी प्रभार है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट प्राक्कलन के अनुसार पेंशन मद में 33,389.43 करोड़ रुपये व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट प्राक्कलन में 35,170.48 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

राज्य द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि नियंत्रित रही है । वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट प्राक्कलन के अनुसार 23,013.94 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026–27 में ब्याज भुगतान मद में 25,363.67 करोड़ रुपये भुगतान किये जाने का अनुमान है ।

(iii) पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोगः– राज्य के द्वारा राजस्व बचत की स्थिति वित्तीय वर्ष 2004–05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं कुछ वर्षों को छोड़कर राजस्व बचत की स्थिति बनाये रखी गई है । पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु यथा सिंचाई, सड़क तथा पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के निर्माण में किया जा रहा है । आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

(iv) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणनाः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में पेंशन मद में 35,170.48 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2026–27 से आगे के वर्षों के लिए 9 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है ।

तालिका ख. 3: अगले 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2024-25	26139.61
2025-26	33389.43
2026-27	35170.48
2027-28	38335.83
2028-29	41786.05
2029-30	45546.79
2030-31	49646.01
2031-32	54114.15
2032-33	58984.42
2033-34	64293.02
2034-35	70079.39
2035-36	76386.53
2036-37	83261.32

अनुसूची–3
राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

(1) राजकोषीय नीति अवलोकनः– राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है, जिससे सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना में निवेश किया जा सके । इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी । साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में भी राजस्व व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर–योजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है । पूर्व के वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर–संग्रहण में वृद्धि देखी गई है ।

बजट अनुमान के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमान में 9.37 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । राज्य के अपने कर–राजस्व में वित्तीय वर्ष 2025–26 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026–27 में 10.55 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । कर–भिन्न राजस्व में वित्तीय वर्ष 2025–26 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026–27 में 14.38 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ।

राज्य का राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) 8,831.18 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026–27 में 1,143.19 करोड़ रुपये अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) 32,718.31 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026–27 में 39,111.80 करोड़ रुपये अनुमानित है । राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2026–27 (बजट अनुमान) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये (आधार वर्ष 2011–12) का 2.99 प्रतिशत है, जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2022 की निर्धारित सीमा 3.0 प्रतिशत के अन्तर्गत है ।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये राजकोषीय नीति :– चूंकि भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) अधिनियम 2017 में लागू किया गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा भी बिहार राज्य में जी०एस०टी० अधिनियम को राज्य के विधान मंडल से पारित कराने के उपरांत लागू किया गया है और इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

(अ) व्यय नीतिः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में अनुत्पादक व्यय में कमी करना, वार्षिक स्कीम व्यय में वृद्धि करना, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है ।

राज्य की बजट प्रस्तुतीकरण व्यवस्था में लागू किए गये कुछ अन्य सुधार निम्नानुसार हैं :–

(क) परिणाम बजटः– राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शाने के लिए ''परिणाम बजट'' की पहल वित्तीय वर्ष 2006–07 में शुरू की गयी थी । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ''परिणाम बजट'' विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) जेण्डर बजटः– महिला सशक्तीकरण के प्रति सरकार की वचनबद्धता ''जेण्डर बजट'' से परिलक्षित होती है । ''जेण्डर बजट'' के अन्तर्गत महिलाओं को लाभन्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण किया जा सके । ''जेण्डर बजट'' वित्तीय वर्ष 2008–09 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु भी ''जेण्डर बजट'' विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) बाल कल्याण बजटः–राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का महत्वपूर्ण अनुपात है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है । **''बाल कल्याण बजट प्ुस्तिका''** के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का विवरण अंकित होता है ।

''बाल कल्याण बजट पुस्तिका'' वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु भी ''बाल कल्याण बजट पुस्तिका'' विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(घ) उपलब्धि प्रतिवेदनः– वित्तीय वर्ष 2006–07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी रही है । उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है, जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वित्तीय वर्ष का उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2025–26 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ड.) हरित (ग्रीन) बजटः– हरित बजट का अर्थ है बजटीय नीति निर्माण के साधनों का उपयोग करके पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना। इसमें बजटीय और राजकोषीय नीतियों के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन शामिल है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को क्षेत्रिय स्तर तक लाने तथा उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने हेतु बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रस्तुत हरित बजट को एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा सकता है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु भी हरित बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

ऋण एवं आकस्मिक दायित्वः– राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है, तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है । इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुए पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा सकी है । वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए ''निक्षेप निधि'' का गठन किया गया है । 31 मार्च, 2025 तक इस निक्षेप निधि में ब्याज सहित जमा राशि 12,660.21 करोड़ रुपये है । 31 दिसम्बर 2025 तक निक्षेप निधि में ब्याज सहित कुल जमा राशि 15,288.32 करोड़ रुपये का है।

वर्ष 2025–26 में प्रत्याभूति मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) का गठन किया गया है। इस कोष में कुल 1,211.35 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएः—

(I) न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के आधार पर सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के लिए किये गये कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार का दृढ़संकल्प है। इसके लिए वर्ष 2015 से 2020 तक सात निश्चय के तहत विकास के कई काम किये गये। इसके बाद वर्ष 2020 से 2025 तक के लिए सात निश्चय–2 लागू किया गया जिसके तहत विकास के कामों को काफी आगे बढ़ाया गया। अब विकास की गति को और तेज किया जायेगा जिससे अगले 5 वर्षों में बिहार देश के ऊपर के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जायेगा। सभी कामों में केन्द्र सरकार का भी लगातार सहयोग मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 से 2030 तक के लिए सात निश्चय–3 का गठन किया जा रहा है।

(II) सात निश्चय–3 (2025–2030) में प्रस्तावित कार्यः—

(1.) दोगुना रोजगार–दोगुनी आय

(क) राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना।

(ख) मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अन्तर्गत शेष सभी परिवारों की महिलाओं को 10 हजार रुपये देना

- ❖ इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता देना।
- ❖ रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्य दक्षता बढ़ाना।

(ग) जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की व्यवस्था अन्य उद्यमी योजनाओं से की जायेगी।

(घ) बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट–बाजार को विकसित करना।

(ड़) वर्ष 2020 से 2025 तक युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 सालों में इसे दोगुना करते हुए 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार के अवसर पैदा करना।

(च) नये युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन।

(2.) समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार

(क) राज्य में उद्योगों के तेजी से विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नांकित उद्देश्यों के लिए तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठनः—

- ❖ बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केन्द्र बनाना।
- ❖ बिहार को विश्वस्तरीय कार्य स्थल (Work Place) के रूप में विकसित करना।
- ❖ बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।

(ख) सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना।

(ग) नये बड़े उद्योगों को लगाने के लिए मुफ्त जमीन एवं आकर्षक अनुदान देने की व्यवस्था करना।

(घ) राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश सुनिश्चित करना।

(ङ) राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और आसान बनाना (EODB–Ease of Doing Business)।

(च) उद्योग विभाग के अन्तर्गत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन।

(छ) स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए एक नये बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना।

(ज) पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करना तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना।

(3.) कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि

(क) वर्ष 2008 से कृषि रोडमैप बनाकर कृषि का विकास किया जा रहा है। अबतक तीन कृषि रोडमैप क्रमशः वर्ष 2008–2012, वर्ष 2012–2017, वर्ष 2017–2023 को क्रियान्वित किया जा चुका है। अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोडमैप वर्ष 2024–2029 के काम में और तेजी लाना।

(ख) मखाना रोडमैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।

(ग) डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर देना।

(घ) प्रत्येक गाँव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केन्द्र की स्थापना।

(ङ) हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के काम को और आगे बढ़ाना।

(4.) उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य

(क) प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना।

(ख) प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना।

(ग) नये उच्च शिक्षा विभाग का गठन।

(घ) पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना।

(ड़) एक नये एजुकेशन सिटी का निर्माण करना।

(5.) सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन

(क) प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Speciality Hospital) के रूप में विकसित करना।

(ख) जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Super Speciality Hospital) के रूप में विकसित करना।

(ग) नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं ईलाज के लिए लोक–निजी भागीदारी (Public–Private Partnership) को प्रोत्साहित करना।

(घ) प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना।

(ङ) दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना।

(च) सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाना।

(6.) मजबूत आधार–आधुनिक विस्तार

(क) शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

- ❖ शहरी क्षेत्रों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं बढ़ाना।
- ❖ नये नियोजित शहरों का विकास।
- ❖ शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था करना।

(ख) सुलभ संपर्कता का विस्तार

- ❖ 5 नये एक्सप्रेस–वे सड़कों का निर्माण करना।
- ❖ ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध ढंग से 2–लेन चौड़ीकरण करना।

(ग) सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा

- ❖ विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण करना।
- ❖ सभी इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना।

(घ) पर्यटन विकास समृद्ध बिहार

- ❖ बिहार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना।
- ❖ इको–टूरिज्म एवं ऐतिहासिक धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना।
- ❖ पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में सभी प्रकार की पर्यटकीय सुविधाओं का विकास।
- ❖ राज्य के अंदर महत्त्वपूर्ण स्थलों पर हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग एवं निर्माण के व्यवसाय को प्रोत्साहित करना।

(ड़) युवा शक्ति–खेल में प्रगति

- ❖ पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्टस सिटी का निर्माण करना।
- ❖ सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- ❖ सभी पंचायतों में खेल सुविधाओं का विकास एवं पंचायत स्पोर्ट्स क्लब को बेहतर बनाना।
- ❖ राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना।
- ❖ राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(च) अनुरक्षण एवं रख–रखाव

पूर्व से निर्मित सड़क, भवन, बिजली, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं के दीर्घकालिक प्रभावी अनुरक्षण एवं रख–रखाव की व्यवस्था करना।

(छ) प्रगति यात्रा

प्रगति यात्रा से संबंधित 430 स्वीकृत योजनाओं को तेजी से पूरा करना।

(ज) सात निश्चय–2 के अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा करना

(7.) सबका सम्मान–जीवन आसान (Easeof Living)

आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाना।

(III) कार्ययोजना एवं रणनीति

सात निश्चय–3 से संबंधित उपर्युक्त प्रस्तावित कार्य एक सामान्य रूपरेखा है। विभागवार विस्तृत एवं विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण अलग से किया जायेगा। संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ससमय योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। इसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण की व्यवस्था की जायेगी।

अनुसूची–4
राजकोषीय पारदर्शिता के लिए प्रकटन

क. राजकोषीय स्थिति का चयनित संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	मद	वास्तविकी			बजट अनुमान	लक्ष्य		
		3 वर्ष पूर्व 2022–23	2 वर्ष पूर्व 2023–24	1 वर्ष पूर्व 2024–25	आगामी 1 वर्ष 2025–26	आगामी 2 वर्ष 2026–27	आगामी 3 वर्ष 2027–28	आगामी 3 वर्ष 2028–29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	751396.00	854429.00	991997.00	1097264.00	1309155.00	1492436.70	1701377.84
2.	राजस्व बचत	-11288.21	2833.06	-357.38	8831.18	1143.19	1257.51	1383.27
3.	राजकोषीय घाटा	44823.30	35659.89	41222.50	32718.31	39111.80	44773.10	51041.34
4.	वर्ष के अन्त में लोक ऋण अधिशेष	242845.73	272256.37	316361.90	349279.82	388554.47	433327.57	484368.91
5.	कर राजस्व	139527.59	161965.18	183013.07	198035.85	223978.32	246376.15	271013.77
6.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	-1.50	0.33	-0.04	0.80	0.09	0.08	0.08
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	5.97	4.17	4.16	2.98	2.99	3.00	3.00
8.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	18.57	18.96	18.45	18.05	17.11	16.51	15.93
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	32.32	31.86	31.89	31.83	29.68	29.03	28.47

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	विभाग / मंत्रालय	पत्रांक	दिनांक
2022-23	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	पत्रांक–रा0आ0(वि0)-05/2021/1141	25/09/2023
2023-24	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	पत्रांक–रा०आ०(वि०)-05/2021/1348	04/10/2024
2024-25	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	पत्रांक–रा0आ0(वि0)-05/2021/1493	07/10/2025
2025-26	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	पत्रांक–रा0आ0(वि0)-05/2021/1348	04/10/2024
2026-27	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	पत्रांक–रा0आ0(वि0)-05/2021/1493	07/10/2025

ख. राज्य सरकार के दायित्व के घटकों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	प्रवर्ग	पूर्ववर्त्ती वर्ष 1 अप्रैल 2024 को शेष राशि	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्ति			वित्तीय वर्ष के दौरान वापसी			शेष राशि (31 मार्च)		
			पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी) 2024–25	चालू वर्ष (बजट अनुमान) 2025–26	आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2026–27	पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी) 2024–25	चालू वर्ष (बजट अनुमान) 2025–26	आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2026–27	पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी) 2024–25	चालू वर्ष (बजट अनुमान) 2025–26	आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2026–27
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	आन्तरिक ऋण	236205.15	49549.32	54658.04	59974.80	20612.41	21124.91	20963.39	265142.06	298675.19	337686.61
(i)	बाजार उधार	214418.05	47546.00	51758.04	56274.80	16423.00	17500.05	17700.03	245541.05	279799.04	318373.81
(ii)	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	10188.90	0.00	0.00	0.00	1888.35	1439.18	1043.63	8300.55	6861.37	5817.74
(iii)	वित्तीय संस्थानों / बैंकों से ऋण इत्यादि	9861.87	2003.32	2900.00	3700.00	2067.88	1952.40	1986.43	9797.31	10744.91	12458.48
(iv)	बन्ध पत्र	1728.88	0.00	0.00	0.00	233.18	233.28	233.29	1495.70	1262.42	1029.13
(v)	अन्य ऋण	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	7.45	7.45
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय / अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आन्तरिक ऋण	**236205.15**	**49549.32**	**54658.04**	**59974.80**	**20612.41**	**21124.91**	**20963.39**	**265142.06**	**298675.19**	**337686.61**
2.	केन्द्र से ऋण	36051.22	16499.88	1079.75	1964.68	1331.26	1694.96	1701.45	51219.84	50604.63	50867.86
	कुल लोक ऋण	**272256.37**	**66049.20**	**55737.79**	**61939.48**	**21943.67**	**22819.87**	**22664.83**	**316361.90**	**349279.82**	**388554.47**
3.	लोक लेखा (अन्य दायित्व)	52657.01	104816.26	103350.10	105845.15	99701.67	103350.10	105845.15	57771.60	57771.60	57771.60
योग		**324913.38**	**170865.46**	**159087.89**	**167784.63**	**121645.34**	**126169.97**	**128509.98**	**374133.50**	**407051.42**	**446326.07**

ग. ऋण/जमा संग्रहण पर ब्याज मूल्य का विवरणः—

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र. सं	कोटि	वित्तीय वर्ष अंतर्गत उगाही		बकाया राशि (31 मार्च तक)	
		पूर्ववर्ती वर्ष (वास्तविकी)	चालू वर्ष (बजट अनुमान)	पूर्ववर्ती वर्ष (वास्तविकी)	चालू वर्ष (बजट अनुमान)
		2024-25	2025-26	2024-25	2025-26
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बाजार से उधार एवं अन्य प्रतिभूतियाँ	47546.00	51758.04	247036.8	281061.46
2.	केन्द्र से ऋण	16499.88	1079.75	51219.84	50604.63
3.	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	8300.55	6861.37
4.	वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण	2003.32	2900.00	9804.76	10752.36
5.	रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/ अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2027.31	2450.00	8628.06	8628.06
7.	आरक्षित निधि	4380.42	4400.10	5496.51	5496.51
8.	जमा	98408.53	96500.00	43647.03	43647.03
9.	**कुल**	**170865.46**	**159087.89**	**374133.50**	**407051.42**

घ. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरणः—

(राशि लाख रुपये में)

सेक्टर (गारंटियों की संख्या कोष्ठक के अन्दर)	गारंटी की अधिकतम राशि (31 मार्च 2025 तक)		वर्ष 2024–25 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2024–25 के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष 2024–25 के दौरान विलोपन (मांग को छोड़कर)	वर्ष 2024–25 के दौरान लागू		वर्ष 2024–25 के अंत में बकाया		गारंटियों का कमीशन या शुल्क		अन्य विषयक विवरण
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			मुक्त किया गया	मुक्त नहीं किया गया	मूलधन	ब्याज	प्राप्त योग	प्राप्त	
1	2		3		4	5	6	7	8		9	10	11
पावर (3)													
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०	794238.06	8641.93	627540.73	8641.93	32561.00	34123.93	0.00	0.00	625977.80	8985.85	0.00	0.00	
नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०	834015.65	2466.32	526247.38	2466.32	46651.10	23579.12	0.00	0.00	549319.36	2565.28	0.00	0.00	
बिहार राज्य विद्युत ट्रांशमिशन कंपनी लि०	536872.00	114704.94	536872.00	114704.94	53335.00	216432.00	0.00	0.00	373775.00	0.00	0.00	0.00	
जोड़	**2165125.71**	**125813.19**	**1690660.11**	**125813.19**	**132547.10**	**274135.05**	**0.00**	**0.00**	**1549072.16**	**11551.13**	**0.00**	**0.00**	
सहकारिता (5)													
बिहार राज्य दुग्ध सहकारिता फेडरेशन, पटना (कॉम्फेड)	54040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य भण्डारण निगम	17800.00	0.00	8947.00	0.00	0.00	3991.00	0.00	0.00	4956.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०	800000.00	0.00	30000.00	388.52	161000.00	30000.00	0.00	0.00	161000.00	104.78	0.00	0.00	
जोड़	**871840.00**	**0.00**	**38947.00**	**388.52**	**161000.00**	**33991.00**	**0.00**	**0.00**	**165956.00**	**104.78**	**0.00**	**0.00**	
कोई अन्य (10)													
बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम	2000000.00	0.00	938243.00	3519.00	2810068.00	3040643.00	0.00	0.00	707668.00	1788.00	1325.00	775.00	
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, पटना	3000.00	0.00	2133.00	950.00	0.00	2133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2500.00	0.00	1542.85	1898.78	0.00	1542.26	0.00	0.00	0.59	942.00	0.00	0.00	
जोड़	**2005500.00**	**0.00**	**941918.85**	**6367.78**	**2810068.00**	**3044318.26**	**0.00**	**0.00**	**707668.59**	**2730.00**	**1325.00**	**775.00**	
कुल जोड़	**5042465.71**	**125813.19**	**2671525.96**	**132569.49**	**3103615.10**	**3352444.31**	**0.00**	**0.00**	**2422696.75**	**14385.91**	**1325.00**	**775.00**	

ङ दायित्वों एवं आस्तियों का विवरणः—

राशि करोड़ रूपये में)

31.03.2024 की स्थिति	दायित्व एवं आस्तियाँ	31.03.2025 की स्थिति
	दायित्व	
236205.16	**आंतरिक ऋण**	**265142.07**
214418.05	ब्याज सहित बाजार ऋण	245541.05
0.00	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.00
21.55	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55
21765.56	अन्य संस्थानों से ऋण	19579.47
43878.73	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**	**51219.83**
3.91	वर्ष 1984-85 के पूर्व का ऋण	3.91
0.58	स्थापना एवं प्रतिबद्ध ऋण	0.58
191.29	राज्य स्कीम के लिए ऋण	191.29
1.01	केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए ऋण	1.01
30.83	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए ऋण	29.19
42.96	स्कीम के लिए अर्थोपाय अग्रिम	42.96
43608.16	राज्य के अन्य ऋण	50950.89
74.01	**अंतर्राज्यीय समायोजन**	**74.01**
350.00	**आकस्मिकता निधि (संग्रह)**	**350.00**
61358.31	**लोक लेखा पर देयताएं**	**69184.73**
9141.12	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	8628.06
39666.57	जमा	43647.03
12343.98	आरक्षित निधि	15637.03
0.00	प्रेषण शेष	0.00
206.63	उचंत तथा विविध शेष	1272.58
56694.77	**व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई**	**64164.91**
398560.98	**कुल**	**450135.55**
	आस्तियाँ	
36982.18	**नकद**	**51238.57**
0.00	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
233.22	विभागीय नकद अवशेष	233.22
765.53	स्थायी अग्रिम	765.10
26762.09	नकद शेष निवेश	39132.93
726.68	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	966.80
8494.66	उद्दिष्ट निधियों से निवेश	10140.52
327339.05	**स्थायी आस्तियों पर सकल पूँजीगत व्यय**	**365866.09**
41512.98	कंपनी एवं निगमों आदि के शेयरों में निवेश	45665.21
285826.08	अन्य पूँजीगत व्यय	320200.88
0.00	**आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)**	**0.00**
27249.57	**ऋण एवं अग्रिम**	**29587.65**
249.96	**सिविल अग्रिम**	**249.96**
5611.89	**उचंत एवं विविध शेष**	**2064.85**
1128.33	**प्रेषण शेष**	**1128.43**
0.00	**प्राप्तियों से व्यय का संचयी अधिकाई**	**0.00**
398560.98	**कुल**	**450135.55**

च. समेकित निक्षेप निधि विवरणः—

(राशि करोड़ रुपये में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में शेष 2024—25	पूर्व वर्ष में बढोतरी 2024—25	पूर्व वर्ष में प्रत्याहरण 2024—25	पूर्व वर्ष के अंत में/ चालू वर्ष के आरंभ में बकाया 2025—26	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों/बाजार ऋण का भंडार (प्रतिशत) 2025—26	चालू वर्ष में संभावित बढोतरी 2025—26	चालू वर्ष में संभावित प्रत्याहरण 2025—26	चालू वर्ष 2025—26 के अंत में/ आगामी वर्ष 2026—27 के आरंभ में अनुमानित शेष	चालू वर्ष के अन्त में एस.एल.आर. उधारों/बाजार ऋण का अनुमानित भंडार (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10278.99	2381.22	0.00	12660.21	65.63	2839.79	0.00	15500.00	68.74